श्री अमय कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक–16.06.2014 को हरसिद्धि प्रखण्ड, अंचल, बाल विकास परियोजना एवं मनरेगा कार्यालयों का औचक निरीक्षण टिप्पणी ।

दिनांक–16.06.2014 को 04:50 बजे अपराह्न हरसिद्धि प्रखंड, अंचल एवं बाल विकास परियोजना एवं मनरेगा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टिप्पणी निम्नवत् है :–

A. प्रखंड कार्यालय

1. उपस्थिति पंजी

उपस्थिति पंजी की जॉच के क्रम में निम्नांकित कर्मी बगैर किसी सूचना के अनुपस्थित पाये गये :–

क्रमांक	विभाग का नाम	कर्मी का नाम एवं पदनाम
1.	कृषि विभाग	श्री अशोक कुमार, कार्यालय परिचारी
2.	''	'' अर्जुन राय, कार्यालय परिचारी
3.	विकास	'' सत्यनारायण सिंह, कार्यालय परिचारी

उपर्युक्त कर्मियों का अवकाश स्वीकृत कराये बगैर एवं बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहना काफी गंभीर है एवं उनकी स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। अतः उपर्युक्त कर्मियों के एक दिन के वेतन का भुगतान स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ भेजने एवं ***सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005*** के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजने का प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरसिद्धि को दिया जाता है।

(अनुपालन–प्रखंड विकास पदा0, हरसिद्धि)

2. रोकड़ बही

इस प्रखंड का रोकड़ बही दिनांक–16.06.2014 तक अद्यतन है।

3. जन शिकायत पंजी

इस प्रखंड में जन शिकायत पंजी अद्यतन नहीं है, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	कार्यालय/विभाग का नाम	अद्यतन स्थिति
1	मुख्यमंत्री सचिवालय	दिनांक–18.09.13 से अद्यतन नहीं है।
2.	जिला जन शिकायत कोषांग	अद्यतन नहीं है। दिनांक–26.09.2013 तक अंतिम प्रतिवेदन अंकित है।
3	अनुमंडल कार्यालय	अद्यतन नहीं है। दिनांक–07.11.13 तक अंतिम पत्र अंकित है।

जॉच के क्रम में प्रखंड स्तर पर संधारित होने वाले जनता दरबार पंजी उपस्थापित नहीं किया गया। इससे से स्पष्ट है कि इस प्रखंड से संबंधित जन शिकायत पंजी संधारित नहीं है।

निदेश दिया जाता है कि **इस संबंध में जिला स्तर से विभिन्न पंजियों के संधारण के संबंध में निर्गत आदेश के अनुरूप निम्न पंजियों का संधारण विधिवत करना सुनिश्चित करें :–**

(क) मुख्यमंत्री सचिवालय एवं मुख्यमंत्री जनता दरबार से प्राप्त शिकायतों से संबंधित।
(ख) मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं विभागीय सचिव से प्राप्त शिकायतों से संबंधित।
(ग) जिला जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों से संबंधित।
(घ) प्रखंड विकास पदाधिकारी के जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों से संबंधित।

प्रखंड विकास पदाधिकारी इसे सुनिश्चित कराएँगे तथा अनुपालन संसूचित करेंगे।
(अनुपालन–प्रखंड विकास पदाधिकारी)

4. **माननीय उच्च न्यायालय का वाद**

इससे संबंधित पंजी इस कार्यालय में संधारित नहीं पाई गई। यह अत्यन्त ही खेदजनक है। प्रभारी लिपिक को निदेशित किया गया कि **वे एक सप्ताह के अन्दर इसे विहित प्रपत्र में संधारित करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी इसे सुनिश्चित कराएँगे एवं अनुपालन संसूचित करेंगे।**
(अनुपालन–प्रखंड विकास पदा0/प्रभारी लिपिक)

B. अंचल कार्यालय

1. **उपस्थिति पंजी**

उपस्थिति पंजी की जॉच के क्रम में निम्नांकित कर्मी बगैर किसी सूचना के अनुपस्थित पाये गये :–

क्रमांक	विभाग का नाम	कर्मी का नाम एवं पदनाम
1.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	श्री धीरेन्द्र नारायण सिंह, लिपिक
2.	''	मो0 उस्मान, अंचल अमीन
3.	गृह (विशेष) विभाग	मो0 रफी अहमद, चौकीदार (प्रतिनियुक्ति पर है)

उपर्युक्त कर्मियों का अवकाश स्वीकृत कराये बगैर एवं बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहना काफी गंभीर है एवं निन्दनीय है। यह उनकी स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। अतः उपर्युक्त कर्मियों के एक दिन के वेतन का भुगतान स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ भेजने एवं **सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005** के तहत **कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजने का प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरसिद्धि को दिया जाता है।**
(अनुपालन–अंचलाधिकारी)

C. बाल विकास परियोजना कार्यालय

1. **उपस्थिति पंजी**

औचक निरीक्षण के क्रम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हरसिद्धि उपस्थित थी, परन्तु उनकें प्रधान लिपिक बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाये गये। निरीक्षण के समय रोकड़ बही उपस्थापित नहीं किया गया। यह काफी खेदजनक एवं निन्दनीय है। यह प्रधान लिपिक की स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।

अतः जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 को निदेश दिया जाता है कि **बाल विकास परियोजना कार्यालय, हरसिद्धि के प्रधान लिपिक के एक दिन के वेतन का भुगतान स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की जाय।**

(अनुपालन–जिला कार्यक्रम पदा0, आई0सी0डी0एस0)

D. मनरेगा कार्यालय

1. उपस्थिति पंजी

उपस्थिति पंजी की जॉच के क्रम में कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा उपस्थित थे, परन्तु उनके द्वारा उनके द्वारा जॉच हेतु लेखा उपस्थापित नहीं किया गया। श्री सुधाकर कुमार, तकनिकी सहायक लम्बी अवधि से अनुपस्थित हैं। यह स्थिति काफी असंतोषजनक एवं निन्दनीय है।

उप विकास आयुक्त श्री सुधाकर कुमार, तकनिकी सहायक के मानदेय का भुगतान स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे तथा कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, के कार्यों का मूल्यांकन कर आवश्यकतानुसार कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे।

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त)

19/6

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 1188 /गो0
समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, दिनांक 19 वीं जून 2014

प्रतिलिपि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, हरसिद्धि, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/उप कृषि निदेशक (प्रक्षेत्र)/जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 1188 /गो0
समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, दिनांक 19 वीं जून 2014

प्रतिलिपि आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

19/6

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।